स्मृति-पत्र

1–संस्था का नाम

इस संस्था का नाम फख्रूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी होगा।

2–संस्था का पता

इस संस्था का कार्यालय विधान भवन, लखनऊ में होगा किन्तु राज्य सरकार की अनुमति से कार्यालय स्थल में परिवर्तन किया जा सकेगा।

3–संस्था के उद्देश्य

संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :–

1– भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों को उच्च स्तर के उर्दू में हस्तलिखित ग्रन्थों के प्रकाशन के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना।

2– महत्वपूर्ण साहित्यिक तथा राष्ट्रीय विषयों पर विशिष्ट विद्वानों द्वारा भारत में फख्रूद्दीन अली अहमद मेमोरियल लेक्चर का आयोजन करना।

3– राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य से उर्दू भाषा तथा साहित्य का बढ़ावा देने हेतु डी० लिट० तथा पी० एच० डी० विद्वानों को तथा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

4– राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से ऐसे अन्य कदम उठाना जिससे उर्दू को बढ़ावा देना सम्भव हो।

5– स्व० श्री फख्रूद्दीन अली अहमद की याद में एक गोल्ड मेंडल स्थापित करना जो कि ऐसे प्रतिभावान छात्रों को प्रदान किया जाय जिसे संस्था इस उद्देश्य से विनियमों द्वारा निश्चित करे।

6– संस्था अथवा उसकी किसी सम्पत्ति का उपयोग राजनैतिक, सामाजिक अथवा राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के लिये नहीं किया जायेगा।

7– संस्था के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिये तथा उसके हितों की पूर्ति हेतु संघ अथवा किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्तियों से आर्थिक सहायता, क्षतिपूर्ति, अनुदान, संविदा, अनुशप्तियों, अधिकार, रियायत, विशेषाधिकार या उनमुक्तियां जिन्हें प्राप्त करना संस्था द्वारा वांछनीय समझा जाय, प्राप्त करने के लिये संघ अथवा राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के साथ व्यवस्था करना और किसी भी ऐसे व्यवस्था का प्रयोग तथा अनुपालन करना।

8– किसी भी प्रकार के दान आदि को स्वीकार करना।

9– कोई भी ऐसे अन्य कार्य और विषयों को करना जो संस्था के उपरोक्त सभी उद्देश्यों या किसी उद्देश्य की पूर्ति या उनसे सम्बन्धित प्रासंगिक कार्यो के किये जाने के लिये उपयोगी तथा आवश्यक हो।

4- कार्यकारिणी परिषद के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय एवं पद जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया :—

सं०	नाम	पता	व्यवसाय	पद
1	2	3	4	5
1-	डा० एम० रिज़वान अलवी	(राज्य सरकार द्वारा नामित प्रथम चेयरमैन)	प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	चेयरमैन
2-	सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग उत्तर प्रदेश शासन,	विधान भवन, लखनऊ	राज्य सेवा	एक्टिंग चेयरमैन
3-	सचिव शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके नामिनी अर्थात श्री.....		राज्य सेवा	सदस्य पदेन
4-	सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके नामिनी अर्थात श्री.....		राज्य सेवा	सदस्य पदेन
5-	निदेशक दूरदर्शन लखनऊ अथवा उनके नामिनी अर्थात श्री.....		राज्य सेवा	सदस्य पदेन
6-	निदेशक आकाशवाणी लखनऊ अथवा उनके नामिनी अर्थात् श्री.....		राज्य सेवा	सदस्य पदेन

7- राज्य सरकार द्वारा नामित उत्तर प्रदेश के चार ऐसे प्रमुख उर्दू साहित्यकार और

8- उर्दू प्रेमी जिन्हें राज्य सरकार नामित करे, किन्तु जो व्यक्ति उर्दू अकादमी, अन्जुमन

9- तरक्की उर्दू अथवा अन्य किसी उर्दू संस्था का सदस्य हो जिसे राज्य सरकार द्वारा

10- वित्तीय सहायता दी जाये, उन्हें सदस्य नहीं बनाया जायेगा ऐसे प्रथम सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :-

क्रम संख्या	नाम	पता	व्यवसाय	पद
1- श्री				सदस्य
2- श्री				सदस्य
3- श्री				सदस्य
4- श्री				सदस्य
11- श्री				सचिव/सदस्य

हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता इस संस्था को उपरोक्त स्मृतिपत्र के अनुसार सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट १८६० के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं।

क्रम संख्या	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4
1–			
2–			
3–			
4–			
5–			
6–			
7–			
8–			
9–			
10–			
11–			

फख़रूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी उत्तर प्रदेश की नियमावली

1–नाम

इस संस्था का नाम "फख़रूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी होगा तथा इसका रजिस्टर्ड कार्यालय विधान भवन लखनऊ होगा किन्तु राज्य सरकार की अनुमति से कार्यालय के स्थान में परिवर्तन किया जा सकेगा।

2–सदस्यता

स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य इस संस्था के तथा उसकी कार्यकारणी परिषद के प्रथम सदस्य होंगे। पदेन सदस्यों के नामिनी को वोट देने का भी अधिकार होगा।

3–पदेन सदस्यों का कार्यकाल

(अ) संस्था अथवा उसकी कार्यकारिणी परिषद अथवा उसकी कोई समिति के जो पदेन सदस्य होंगे उनकी सदस्यता उस पदधारणा की समाप्ति पर स्वत: समाप्त हो जायेगी तथा उस पद के उत्तराधिकारी ऐसे सदस्य हो जायेंगे।

(ब) संस्था अथवा कार्यकारिणी परिषद अथवा उसकी किसी कमेटी के किसी पदेन सदस्य के स्थान पर उत्तर प्रदेश शासन किसी भी समय प्रतिस्थानी नियुक्त कर सकती है तथा ऐसी नियुक्ति पर अवमुक्त सदस्य के स्थान पर प्रतिस्थानी सदस्य स्थान ग्रहण करेगा।

4–गैर सरकारी सदस्यों की सदस्यता

1– गैर सरकारी सदस्य की दशा में उसकी सदस्यता का कार्यकाल ३ वर्ष का होगा किन्तु उसे पुन: नामित किया जा सकेगा।

2– प्रथम गैर सरकारी सदस्य के कार्यकाल के पश्चात गैर सरकारी सदस्य उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित किया जायेगा।

3– किसी गैर सरकारी सदस्य की मृत्यु, त्याग पत्र देने या किसी कारण से होने वाली आकस्मिक रिक्ति को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भरा जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी रिक्ति के

भरे जाने पर नामित सदस्य की पदावधि उसके पूर्वाधिकारी की शेष पदावधि तक के लिये होगी। बिना सम्यक कारणों के यदि कोई गैर सरकारी सदस्य लगातार ३ बैठकों में भाग नहीं लेता है तो पदधारक को हटाया जा सकेगा तथा ऐसी रिक्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भरी जायेगी।

5–कार्यकारिणी परिषद द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान

सामान्य नियंत्रण तथा देखभाल के अधीन रहते हुये कार्यकारिणी परिषद अपने समस्त या कोई अधिकार कार्यकारिणी परिषद के किसी सदस्य को प्रतिनिधानित कर सकेगा।

6–कार्यकारिणी परिषद के कार्यों की व्यावृत्ति

कार्यकारिणी परिषद का कोई भी किया गया कार्य केवल इस आधार पर अवैधानिक न होगा कि उक्त परिषद में रिक्तियां थीं अथवा उसके गठन या किसी सदस्य की नियुक्ति के संबंध में कोई चूक थी।

7–पदाधिकारी

1– [क] चेयरमैन
[ख] ऐक्टिंग चेयरमैन
[ग] सेक्रेट्री

2– चेयरमैन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित व्यक्ति होगा तथा चेयरमैन को वह सभी भत्ते/अथवा सुविधायें दी जायेंगी जिन्हें संस्था के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाये।

3– सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, संस्था के ऐक्टिंग चेयरमैन होंगे।

8–पदाधिकारियों के कर्तव्य

1– संस्था, कार्यकारिणी परिषद अथवा उसकी किसी समिति की बैठक का सभापतित्व चेयरमैन करेंगे जिनकी किसी नियम के प्रश्न पर व्यवस्था अंतिम तथा मान्य होगी। चेयरमैन संस्था के मुख्य अधिकारी होंगे तथा उन विषयों पर जिनकी इन नियमों में व्यवस्था न हो, उन सब पर संस्था के सभी अधिकारी अध्यक्ष के आदेश प्राप्त करेंगे।

2– चेयरमैन की अनुपस्थिति में ऐक्टिंग चेयरमैन बैठक का सभापतित्व करेंगे तथा वे सभी कार्य करेंगे जो चेयरमैन द्वारा उन्हें प्रतिनिधानित किये जायें।

3– चेयरमैन तथा ऐक्टिंग चेयरमैन की अनुपस्थिति में बैठक का सभापतित्व ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा जिसे उपस्थित सदस्य चयन करें।

4– संस्था का एक सेक्रेट्री, होगा जिसे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित किया जयेगा सेक्रेट्री, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग का अनु सचिव या उसके ऊपर स्तर का कोई अधिकारी होगा, जिसे वरीयतन उर्दू भाषा का ज्ञान हो। सेक्रेट्री के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे :–

[क] संस्था का प्रबन्ध कराना, परिषद अथवा उसकी समिति की बैठक बुलाना।

[ख] संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।

[ग] संस्था के लेखे सम्बन्धी अभिलेखों को सुचारू रूप से रखना।

[घ] संस्था के आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्य सेक्रेट्री करेंगे।

[ङ] सेक्रेट्री संस्था का वार्षिक बजट बनायेंगे तथा उसे प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में संस्था की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे व तत्पश्चात् शासन के अनुमोदन हेतु भी प्रेषित करेंगे।

9–बैठकें

1– कार्यकारिणी परिषद की बैठक कम से कम प्रत्येक 3 महीनों में एक बार होगी तथा वर्ष में कम से कम इसकी 4 बैठकें होंगी किन्तु अध्यक्ष जब चाहें अथवा कम से कम 4 सदस्यों की मांग पर बैठक बुला सकेंगे।

2– संस्था अथवा उसकी कार्यकारिणी परिषद की किसी बैठक के लिये 10 दिनों की नोटिस आवश्यक होगी किन्तु चेयरमैन इस अवधि को कम कर सकेंगे।

10–कोरम तथा मत

[अ] संस्था को कार्यकारिणी परिषद की बैठकों के लिये कम से कम 2 गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित करते हुये चार

सदस्यों की कोरम पर्याप्त होगी। किसी स्थगित बैठक के लिये जिसमें आगामी बैठक में उन्ही विषयों पर विचार प्रस्तावित हो, किसी कोरम की आवश्यकता न होगी।

[ब] सभी मामले बहुमत से तय होंगे। प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा किन्तु मतों की समानता में चेयरमैन का एक निर्णायक मत होगा।

11–पदों का सृजन

कमेटी के कार्यकलाप के लिये कमेटी द्वारा तब तक कोई पद सृजित नहीं किया जायेगा जब तक कि इसके प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति से राष्ट्रीय एकीकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदन न प्रदान कर दिया जाय।

12–बैंक लेखा

संस्था का बैंक लेखा सेक्रेट्री तथा ऐक्टिंग चेयरमैन के संयुक्त हस्ताक्षर से चलाया जायेगा।

13–अग्रदाय लेखा

संस्था के सेक्रेट्री के पास रुपया 500/– का अग्रदाय लेखा IMPREST ACCOUNT रखा जायेगा।

14–गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता

1– कमेटी के गैर सरकारी सदस्यों को वही यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा जो उत्तर प्रदेश शासन के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को अनुमन्य हो।

2– कमेटी के स्थानीय गैर सरकारी सदस्यों को उपरोक्त बैठकों में भाग लेने के लिये रु० 15/– प्रति दिन की दर से सवारी भत्ता अनुमन्य होगा।

15–पदों के नियुक्ति प्राधिकारी

नियम 11 के अनुसार अनुमोदित संस्था के सभी पदों के नियुक्ति अधिकारी ऐक्टिंग चेयरमैन होंगे।

16–संस्था की निधि तथा सम्पत्ति तथा उसका रख-रखाव।

संस्था की निधि तथा सम्पत्ति निम्नलिखित होगी :–

1– दान-अनुदान अथवा दोनों जो केन्द्रीय सरकार, प्रदेशीय सरकार अथवा संस्था से प्राप्त हो।

2– चल व अचल सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त धनराशि।

3– संस्था द्वारा अर्जित किसी सम्पत्ति से आय।

4– संस्था की समस्त सम्पत्ति, जो उसने क्रय करके या अन्य प्रकार से प्राप्त की हो या स्वयं निर्मित की हो या उसे केन्द्रीय तथा किसी प्रदेशीय सरकार अथवा किसी व्यक्ति से प्राप्त हुई हो।

5– संस्था द्वारा किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी धनराशियाँ शासन द्वारा अनुमोदित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स्ड डिपाजिट लेखे में अथवा कोषागार में व्यक्तिगत लेजर लेखे में अथवा शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये सामान्य व विशिष्ट निर्देशों के अनुसार जमा की जायगी।

6– संस्था की सम्पत्ति से आय का उपयोग उसके उद्देश्यों की प्रोन्नति हेतु किया जायगा तथा समस्त ऐसे व्यय जमा धनराशियों पर प्राप्त ब्याज एवं शासन से प्राप्त अनुदान की धनराशियों तक ही सीमित रहेंगे।

17–पूंजी लगाना

जिस धनराशि की संस्था को तुरन्त आवश्यकता न होगी वह इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट, 1882 अथवा किसी विधि के अधीन प्राधिकृत प्रतिभूतियों में लगायी जायगी।

18–लेखा परीक्षा

संस्था का लेखा परीक्षा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा जिसकी संपरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रीय एकीकरण' विभाग, उत्तर प्रदेश को भेजी जायगी।

19–विनियमन

कार्यकारिणी परिषद को अधिकार होगा कि वह अपने कार्य को चलाने के लिये ऐसे विनियमन बनाये जो इस नियमावली से असंगत न हों।

20–नियमावली में संशोधन

संस्था को इस नियमावली में संशोधन, परिवर्तन, आशोधन करने का अधिकार होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी नियम संशोधित, परिवर्तित अथवा आशोधित न होगा जब तक उसे कम से कम ३/५ सदस्य जो बैठक में उपस्थित हों, अनुमोदित न कर दें तथा यह भी प्रतिबन्ध है कि कोई भी संशोधन, परिवर्तन अथवा आशोधन कार्यान्वित न किया जायगा जब तक कि उस पर उत्तर प्रदेश शासन के राष्ट्रीय एकीकरण विभाग तथा आवश्यकतानुसार वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त न हो जाय।

21–संस्था का भंग होना यदि संस्था के भंग होने पर देयों के भुगतान के पश्चात कोई परिसम्पत्तियां बचें तो उनका निस्तारण उत्तर प्रदेश शासन के निदेशानुसार किया जायगा।

22--राज्यपाल उत्तर प्रदेश के अधिकार

(क) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, समय-समय पर संस्था को ऐसे मामलों में जिनमें राज्य की सुरक्षा निहित हो अथवा पर्याप्त सार्वजनिक हित के हों, उसके कृत्वों के प्रयोग और सम्पादन के संबंध में निदेश दे सकते हैं तथा वे ऐसे अन्य निदेश भी दे सकते हैं जिन्हें वे संस्था के कार्य संचालन में और वित्तीय मामलों तथा अन्य मामलों के सम्बंध में आवश्यक समझें और इसी प्रकार किसी ऐसे निदेशों को परिवर्तित तथा विखंडित कर सकते हैं। संस्था इस प्रकार जारी किये गये निदेश/निदेशों को तात्कालिक प्रभाव से कार्यान्वित करेगा।

(ख) राज्यपाल संस्था की सम्पत्ति और उसके कार्य कलापों के संबंध में ऐसी विवरणीयाँ लेखे तथा अन्य सूचना की मांग कर सकते हैं जिनकी उन्हें समय-समय पर आवश्यकता हो।

हम संस्था तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद के सदस्य प्रमाणित करते हैं कि संस्था की नियमावली की यह सही प्रति है।

क्रम संख्या	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	डा० एम० रिज़वान अलवी	60 मौलवीगंज, लखनऊ	ह० एम० रिज़वान अलवी
2.	श्री कर्नैल सिंह	सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, उ० प्र० शासन	ह० कर्नैल सिंह
3.	श्री एम० आबिद अली,	अनुसचिव–तदैव–	ह० एम० आबिद अली